न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 45 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

बनाम

(ऋणी)

1. कन्हैया लाल शर्मा
निवासी वार्ड नम्बर 11, अहीरों का मौहल्ला, कानावत, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332708।

(सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)

2. विकास मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा
निवासी 454, वार्ड नम्बर 11, अहीरों का मौहल्ला, कानावत, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332708।

यहां भी
विकास मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा
निवासी प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 2875, ग्राम कानावत, तहसील खण्डेला, जिला सीकर– 332708 राज.।

(सहऋणी)

3. वंदना देवी पत्नी विकास कुमार मिश्रा
वार्ड नम्बर 11, अहीरों का मौहल्ला, कानावत, तहसील–श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332708।

(सहऋणी)

4. नारायणमल सैनी पुत्र पोखर मल सैनी
निवासी 568, ढ़ाणी मालियां, कानावत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **कन्हैया लाल शर्मा, विकास मिश्रा, वंदना देवी, नारायणमल सैनी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में :–

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

(अ) प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 2875, ग्राम कानावत, तहसील खण्डेला, जिला सीकर– 332708 राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 185.18 वर्गमीटर है। मालिकाना हक कन्हैया लाल शर्मा का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

पूर्व में :– रोड 25 फिट.,
पश्चिम में :– प्लॉट नम्बर 19,
उत्तर में :– प्लॉट नम्बर 13,
दक्षिण में :– रोड़ 30 फिट,

को बंधक रखकर **08,50,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **आठ लाख पच्चास हजार**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.02.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री राजेश माथुर ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **14.02.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **कन्हैया लाल शर्मा, विकास मिश्रा, वंदना देवी, नारायणमल सैनी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(अ) प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 2875, ग्राम कानावत, तहसील खण्डेला, जिला सीकर– 332708 राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 185.18 वर्गमीटर है। मालिकाना हक कन्हैया लाल शर्मा का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

पूर्व में :– रोड 25 फिट.,
पश्चिम में :– प्लॉट नम्बर 19,
उत्तर में :– प्लॉट नम्बर 13,
दक्षिण में :– रोड़ 30 फिट,

का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 19 **सितम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner